रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 1981/आश्विन 11, 1903

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 1981/ASVINA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1981

सा० का० नि० 875 :—भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सिक्किम राज्य सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति)-संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में राजस्थान सरकार से सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी अर्थात् :—

"सिक्किम

(1) सरकार के मुख्य सचिव।

(2) विकास आयुक्त

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित अधिसमय वेतनमान के दो वरिष्ठतम सचिव।

(4) भारत सरकार का एक मनोनीत अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे स्तर का न हो"।

[सं० 14015/9/79-अ०भा०से०(I)]

डी० सी० मिश्र, निदेशक

टिप्पणी :—सिक्किम राज्य से सम्बन्धित प्रविष्टि भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में पहली बार समाविष्ट की जा रही है, अतः सम्बन्धित अनुसूची को पहले संशोधित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 9th September, 1981

G.S.R. 875.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1981

सा० का० नि० 897.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) समूह "घ" पद भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) समूह 'घ' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1980 की अनुसूची में दफ्तरी के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ 5 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"200-3-206-4-234-द० रो० -4-250 रुपये"

(मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में तारीख 15-11-1980 के अंक में प्रकाशित किए गए थे, के लिए सा० का० नि० 1203)

[संख्या 39/3/75-ई० सी०-IV]

जे० आर० भाटिया, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

(Works Division)

New Delhi, the 3rd September, 1981

G.S.R. 897.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Group 'D' posts Recruitment Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Group 'D' posts Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Group 'D' posts Recruitment Rules, 1980 for the entry under Column 5 against serial No. 1 relating to the post of Daftry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Rs. 200—3—206—4—234—EB—4—250"

(The principal rules were published in Part II Section 3 Sub-Section (i) of the Gazette of India in the issue dated 15-11-1980 vide GSR No. 1203).

[No. 39/3/75-EC.IV]

J. R. BHATIA, Section Officer (Special)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1981

सा० का० नि० 898.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपघर तथा दीपपोत विभाग ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' (गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम दीप स्तम्भ और दीपपोत विभाग ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' (गैर-तकनीकी पद) भर्ती संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दीप स्तम्भ दीपपोत विभाग ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' (गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम 1978 :—

(1) प्रस्तावना में शब्द और आंकड़े "नियम 1959", शब्द के बाद "किया गया की गई वस्तुएं अथवा ऐसे अतिक्रमण से जो छूट गई हों" उनको जोड़ा जाएगा।

(2) अनुसूची में :—

(i) प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने स्तंभ 6 में, कोष्ठकों तथा अक्षरों के लिए ("सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलन") कोष्ठक तथा अक्षर "(सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष की शिथिलन)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कालम 6 में, क्रम संख्या 2 में कार्यकारी अधिकारी के संबंध में कोष्ठकों तथा अक्षरों के स्थान पर "(सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलन)" कोष्ठक तथा अक्षर "(सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष की शिथिलन)" को रखा जाएगा।

[एसडब्ल्यू/एलएलओ-4/80-एमटी]

विश्वनाथ शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 16th September, 1981

G.S.R. 898.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Lighthouses and Lightships Group 'A' and Group 'B' (Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 1978, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships Group 'A' and Group 'B' (Non-Technical Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Lighthouses and Lightships Group 'A' and Group 'B' (Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 1978,—

(1) in the preamble, after the word and figures "Rules, 1959", the words "except as respects things done or omitted to be done before such supersession" shall be inserted.

(2) In the Schedule,

(i) against Serial Number 1 relating to the post of Administrative Officer, in column 6, for the brackets and letters "(Relaxable for Government Servants")", the brackets and letters "(Relaxable upto five years for Government Servants)" shall be substituted.

(ii) against Serial Number 2 relating to the post of Executive Officer, in column 6, for the brackets and letters "(Relaxable for Government Servants)" the Brackets and letters "(Relaxable upto five years for Government Servants)" shall be substituted.

[SW/LLO-4/80-MT]

V. N. SHARMA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1981

सा० का० नि० 899.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी

(समूह घ पद) भर्ती नियम, 1964 ता० 30-11-1964 के सा० का० नि० 1777 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित और ता० 24-1-1981 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 99 द्वारा संशोधित का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह घ पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में चपरासी के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने स्तम्भ 8 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड उत्तीर्ण"

[सं० 1/13/75-बी (ए)]
आर० डी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 7th September, 1981

G.S.R. 899.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1964, Published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (i) GSR No. 1777, dt. 30-11-1964. Amended vide Notification No. GSR-99, dt. 24-1-1981, namely :—

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 6 relating to the post of Peon, for the entry under column 8 the following entry shall be substituted, namely :—

"Middle School Standard Pass".

[No. 1/13/75-B (A)]
R. D. JOSHI, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1981

सा० का० नि० 900.—संविधान की धारा 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा नागर विमानन विभाग अधीनस्थ कार्यालय (वर्ग घ पद) भर्ती नियम, 1974 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. (1) ये नियम नागर विमानन विभाग अधीनस्थ कार्यालय (वर्ग घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 कहे जाएंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नागर विमानन विभाग अधीनस्थ कार्यालय (वर्ग घ पद) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में, मजदूर तथा स्टोर्स मजदूर के पदों से संबंधित क्रम सं० 8 (क) तथा (ख) के सामने, "मजदूर" तथा "स्टोर्स मजदूर" प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"स्टोर परिचर"

टिप्पणी — मुख्य भर्ती नियमों का भारत राजपत्र के भाग II खंड III, उप-खंड (i) में सा० का० नि० 568, दिनांक 8-6-1974 के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिन्हें बाद में सा० का० नि० 1638 दिनांक 20-11-76 तथा सा० का० नि० 1037, दिनांक 4-10-1980 द्वारा संशोधित किया गया।

[सं० ए० 12018/12/80-ई डब्ल्यू (वी ई/एस० एफ० एस)]
वी० जयचन्द्रन, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 3rd September, 1981

G.S.R. 900—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Civil Aviation Department Subordinate Offices (Group D Posts) Recruitment Rules, 1974, namely:—

1. (1) These rules may be called the Civil Aviation Department Subordinate Offices (Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Civil Aviation Department Subordinate Offices (Group D Posts) Recruitment Rules, 1974, against Serial No. 8(a) and (b) relating to the Posts of Mazdoor and Stores Mazdoor, for the entries 'Mazdoor' and 'Store Mazdoor' the following entry shall be substituted, namely :—

'Store Attendant'.

Note.—Principal Recruitment Rules were notified in the Gazette of India, Part II Section III Sub-Section I, GSR, 568 dated 8-6-1974 and subsequently amended Vide G.S.R. 1638 dated 20-11-76 and GSR 1037 dated 4-10-1980.

[No. A. 12018|12|80-EW (VE|SFS]
V. JAYACHANDRAN, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1981

सा० का० नि० 901.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इस के द्वारा दण्डकारण्य परियोजना में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के भर्ती नियम, 1973 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना समूह 'क' और समूह 'ख' भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. दण्डकारण्य परियोजना, समूह 'क' और समूह 'ख' भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में सहायक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत)/सहायक अभियंता (संचार)/(भंडार क्रय)/सहायक निर्माण-कार्य सर्वेक्षक/कार्यपालक अभियंता का वैयक्तिक सहायक/सहायक अभियंता (जल सप्लाई)/सहायक अभियंता (ड्रिलिंग) के पदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—